

12-11-2016

अपीलार्थी राकेश सहित श्री अशोक जादौन अधि०।  
शासन द्वारा श्री भगवानसिंह ए.जी.पी.।  
फरियादीगण कालीचरण व पप्पू सहित श्री रमेश  
सिंह यादव अधिवक्ता।

प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा आवेदनपत्र पर  
आदेश हेतु नियत है।

फरियादीगण की ओर से एक राजीनामा अनुमति  
बाबत धारा-320(2) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय फोटो चस्पा  
करके पेश किया गया है। दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34  
भा०द०वि० का है, उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से  
स्वयं पक्षकार द्वारा शमनीय है। राजीनामा से पक्षकारों के  
मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद  
विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थी  
राकेश से धारा-323/34 भा.द.वि. में राजीनामा करने की  
अनुमति बाद विचार प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी की पहचान श्री अशोक जादौन अधिवक्ता  
द्वारा एवं फरियादी की पहचान श्री रमेश सिंह यादव  
अधिवक्ता द्वारा की गयी है। राजीनामा विधि अनुकूल होने  
से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आलोक में  
आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34,  
भा.दं.वि० से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के अपील में  
प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

आरोपी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड  
वापिस किया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क  
प्रदान की जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ  
न्यायालय का मूल रिकॉर्ड वापिस हो।

प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी. आय)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.-20,  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपाध्याय)

(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20

गोहद जिला भिण्ड

(के०पी० राठौर)

(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20

गोहद जिला भिण्ड

राकेश की प्रति निशुल्क  
प्राप्त की।

२१/११/१६

कालीचरण

अभि

अपीलार्थी राकेश सहित श्री अशोक जादौन अधिवक्ता  
द्वारा एवं फरियादी की पहचान श्री रमेश सिंह यादव  
अधिवक्ता द्वारा की गयी है। राजीनामा विधि अनुकूल होने  
से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आलोक में  
आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34,  
भा.दं.वि० से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के अपील में  
प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।  
आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे।  
आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल  
रिकॉर्ड वापिस हो।  
१०३३  
१५/११/१६